द एम्पायर जूट कंपनी लिमिटेड व अन्य

बनाम

द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड व अन्य

अक्टूबर 12, 2007

(एस.बी. सिन्हा व हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996:

धारा **5** मध्यस्थता समझौता- न्यायिक समीक्षा की सीमा-जूट की आपूर्ति करने बाबत् संविदा- पक्षकारान के मध्य वहन लागत अदा करने बाबत् विवाद-उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदापि मध्यस्थता समझौता मौजूद है तब भी वहन लागत बाबत् विवाद स्वयं निर्धारित किया गया तथा वहन लागत की मात्रा की गणना के विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजा गया-यह प्रतिपादित किया गया कि वरिष्ठ न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति निःसंदेह व्यापक है लेकिन मध्यस्थता खंड मौजूद होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए-विवाद के संबंध में यह निर्णीत किया कि पक्षकारान के मध्य का विवाद मध्यस्थता के अधीन

है, ऐसे में पक्षकारान के मध्य के विवाद के एक हिस्से को स्वयं तय नहीं करना चाहिए था- चूंकि तथ्य के साथ-साथ कानून के विवादित प्रश्न मध्यस्थ द्वारा ही निर्धारित किए जाने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारान के मध्य समस्त विवाद को मध्यस्थता में वर्णित बिक्री आदेश के खंड 9 के तहत मध्यस्थ को रेफर करने के निर्देश जारी किये गये थे।

जूट आयुक्त ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2000 में एक आदेश पारित किया, जिसके तहत अपीलार्थी कंपनी को 'बी' ट्वील गनी बैग का निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे। जूट आयुक्त द्वारा उक्त उत्पादन नियंत्रण आदेश का विवरण भारतीय जूट निगम लिमिटेड को भेजा गया। आयुक्त द्वारा नियंत्रण आदेश के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिसम्बर 2002 के महिने में डिलेवरी के लिए 50 किलोग्राम बी-ट्वील जूट बैग की कीमत रू. 1712.77 पैसे प्रति सौ बैग के रूप में तय की गई। तत्पश्चात् जूट के संबंध में एक अनुबंध पक्षकारान के मध्य तय किया गया। बिक्री के अनुबंध के तहत प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे जूट की गुणवत्ता बहुत निम्न गुणवत्ता की बतायी गयी तथा जूट नहीं खरीदा गया। उक्त प्रकरण में कथित तौर पर अपने उपक्रमों को पूरा करने के लिए उन्हें खुले बाजार से उधार पर कच्चा जूट खरीदना पड़ा तथा यह आशंका जताते हुए कि आगे कोई

कच्चा माल आवंटित नहीं किया जाएगा या उनके खिलाफ दंडनात्मक कार्यवाही की जाएगी, अपीलकर्ता द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई तथा यह अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादी संख्या-2 अपने नियंत्रण आदेशों के उल्लेखित अवधि माह के लिए प्रचलित कीमत पर बी-ट्वील बैग की आपूर्ति करने के लिए याचिकाकर्ता को मजबूर ना करे। तत्पश्चात् एकलपीठ द्वारा अपीलार्थी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया तथा अंतरिम आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी द्वारा एक पत्र अपीलार्थी को जारी किया गया जिसमें वहन लागत अदा करने हेतु कहा गया जिसका विरोध अपीलार्थी द्वारा किया गया। तत्पश्चात् मामला डिवीजन बेंच के समक्ष आया, जिस पर खंडपीठ द्वारा यह निर्णीत किया गया कि अपीलकर्ता उत्तरदाताओं को देय वहन लागत की मात्रा के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से राशि का निपटान करे। उक्त आदेश से व्यथित होकर कंपनी द्वारा यह अपील दायर की गई है।

आंशिक रूप से अपील स्वीकार की गई तथा इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया किः-

1.1 वरिष्ठ न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति निःसंदेह व्यापक है लेकिन मध्यस्थता खंड मौजूद होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में संविदा के खंड 9 में एक मध्यस्थता समझाैता मौजूद है। उक्त मध्यस्थता समझौते के माध्यम से ना केवल

गुणवत्ता के संबंध में बल्कि संविदा की अवहेलना के संदर्भ में राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में भी मध्यस्थ द्वारा ही निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड अमृतसर बनाम द हार्ट फोर्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(एआईआर 1965 एससी 1288)**

1.2 समझौते पर विचार करने का दायित्व उच्च न्यायालय का रहा। खंडपीठ द्वारा यह निर्णीत किया गया कि वहन लागत की मात्रा निर्धारित करने के लिए मध्यस्थता की शर्तों का देखा जाना आवश्यक है। यदि कोई राशि देय है तभी उक्त प्रश्न पर विचार किया जायेगा। उक्त देय राशि के संबंध में इसी कारण बिक्री आदेश के खंड 2 व 5 को देखा जाना आवश्यक है। न्यायालय के खंडपीठ द्वारा मध्यस्थता का सहारा लिया गया तथा यह प्रतिपादित किया गया कि जब विवाद मध्यस्थता के अधीन है तो उक्त को मध्यस्थता के लिए ही रेफर किया जाना चाहिए तथा स्वयं के द्वारा विवाद के एक भाग का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए।

मैसर्स बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड आदि बनाम उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड व अन्य, **एआईआर 1976 एससी 127** तथा संजना एम. विग बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, **(2008) एससीसी 242** पर निर्भरता दिखायी गयी।

1.3 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 5 तथा 1940 के अधिनियम के संबंध में उक्त विधिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। धारा 5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार छीन लेता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 1996 के अधिनियम को प्रभाव में लाना चाहिए।

1.4 तथ्य के साथ-साथ कानून के विवादित प्रश्न मध्यस्थ द्वारा ही निर्धारित किए जाने चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पक्षकारान के मध्य समस्त विवाद को मध्यस्थता में वर्णित बिक्री आदेश के खंड 9 के तहत मध्यस्थ को रेफर करने के निर्देश जारी किये गये थे।

सिविल अपील संख्या **4877/2007-**

उच्च न्यायालय, कलकत्ता की एक डिवीजन बेंच द्वारा 2006 के एपीओ नंबर 291, 2006 के एपीओटी नंबर 401 से 406, डब्ल्यूपी नंबर 962, 966, 967 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 के खिलाफ निर्देशित हैं।

2004 के 969, 970, 971 और 972 और 2006 के एपीओटी नंबर 399, 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 1566 में और 2006 के एपीओटी नंबर 400, 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 973 में क्रमशः।

तथा सी.ए. नम्बर 4878 व 4879, सन् 2007

अपीलार्थी की ओर से-एस.बगरिया, अशोक जैन, पंकज जैन तथा बिजाॅय कुमार जैन प्रत्यर्थ की ओर से-विकास भट्टाचार्य, नंदिनी मित्रा, सुभिमल मुखर्जी, स्वाति सिन्हा तथा जयश्री सिंह (फोक्स मंडल व कंपनी)

निर्णय न्यायाधिपति **एस.बी. सिन्हा** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा 2006 के एपीओ नंबर 291, 2006 के एपीओटी नंबर 401 से 406, डब्ल्यूपी नंबर 962, 966, 967 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 के खिलाफ निर्देशित हैं। 2004 के 969, 970, 971 और 972 और 2006 के एपीओटी नंबर 399, 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 1566 में और 2006 के एपीओटी नंबर 400, 2004 के डब्ल्यूपी नंबर 973 में क्रमशः। तथ्यात्मक मैट्रिक्स संकीर्ण दिशा में होने के कारण, हम प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देंगे।

3. प्रथम अपीलकर्ता एक जूट मिल का मालिक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2000 में एक आदेश दिया, जिसे जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 के नाम से जाना जाता है। उक्त आदेश के कारण, जूट आयुक्त को शक्तियां प्रदान की गईं। आयुक्त कच्चे जूट के स्टॉक को

विनियमित करने, कीमत तय करने और उसके उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए। उन्हें प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसकी पालना में जूट आयुक्त ने विभिन्न जूट मिल मालिकों को उत्पादन नियंत्रण आदेश (पीसीओ) जारी किए, जिसमें उन्हें निगम से कच्चे जूट की अनिवार्य खरीद पर निर्दिष्ट गुणवत्ता के बीटीविल गनी बैग का निर्माण करने का निर्देश दिया गया। निर्देशों का अनुपालन न करने पर दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने के आदेश दिए।

4. निर्विवाद रूप से, जूट आयुक्त ने उक्त उत्पादन नियंत्रण आदेश का विवरण भारतीय जूट निगम लिमिटेड को भेज दिया, जिसमें जूट निर्माताओं को उत्पादन नियंत्रण आदेश में निर्दिष्ट कच्चे जूट की अपेक्षित मात्रा की डिलीवरी लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बिक्री अनुबंध जारी करने का उद्देश्य बताया गया, जिसे जूट निर्माताओं को निगम से अनिवार्य रूप से खरीदना आवश्यक था।

तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिसंबर 2002 के महीने में डिलीवरी के लिए 50 किलोग्राम बी-टवील जूट बैग की कीमत अनंतिम रूप से रूपये 1712.77 प्रति सौ बैग तय की। उक्त बोरियों की कीमत कच्चे जूट लिंकेज में सौ प्रतिशत जेसीआई को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी, यानी मिलों को अनिवार्य रूप से भारतीय जूट निगम से ही कच्चा जूट खरीदना अनिवार्य किया गया।

6. बिक्री के अनुबंध के तहत प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे जूट की गुणवत्ता बहुत निम्न गुणवत्ता की बताई गई थी। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के साथ बिक्री अनुबंध में प्रवेश करने का तथ्य विवाद में नहीं है। यह निर्विवादित है कि अपीलकर्ताओं ने अक्टूबर 2003 से अप्रैल 2004 की अवधि के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से कच्चा जूट नहीं खरीदा था। कथित तौर पर अपने उपक्रमों को पूरा करने के लिए, उन्हें खुले बाजार से उधार पर कच्चा जूट खरीदना पड़ा था।

7. यह आशंका करते हुए कि आगे कोई कच्चा माल आवंटित नहीं किया जाएगा, और/या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, अपीलकर्ता द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई थी:-

(ए) एक घोषणा पारित की जाए कि प्रतिवादी नं. 2 के पास 665 ग्राम के बी-ट्वील बोरे की आपूर्ति हेतु याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से कच्चा जूट खरीदने का निर्देश देने और/या आदेश देने की कोई शक्ति, क्षमता और/या अधिकार नहीं है।

(बी) परमादेश की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश और/या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे विभिन्न उत्पादन नियंत्रण आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं को 665 ग्राम बी-टवील

बोरियों की आपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से कच्चा जूट खरीदने के लिए मजबूर न करें।

(सी) उत्तरदाताओं को 665 ग्राम बी-ट्विल जूट बैग के निर्माण के लिए जूट निर्माता विकास परिषद के उत्पादकता मानदंडों के अनुसार कच्चे जूट की खेप आवंटित करने और आपूर्ति करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश और/या निर्देश जारी किया जाएगा।

(डी) प्रतिवादी संख्या को आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश और/या निर्देश जारी किया जाएगा कि वे याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत उत्पादन नियंत्रण आदेशों में उल्लिखित अवधि/माह के लिए प्रचलित कीमत और उसके बाद की अवधि के लिए प्रचलित कीमत से कम कीमत पर बी-टवील बारदाने की आपूर्ति करने के लिए मजबूर करने से बचें और यदि याचिकाकर्ता अन्यथा असमर्थ हैं व्यक्तिगत क्रय आदेश में उल्लिखित अवधि के भीतर बी-टवील बारदानों की आपूर्ति करने में भी उन्हें मजबूर ना किया जाए।

8. उपरोक्त प्रार्थना करने के बावजूद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि क्रेडिट पत्र खोलने के बाद छह समान किश्तों में छह महीने के भीतर बैकलॉग को मंजूरी दे दी जाएगी और यदि कोई भुगतान करना है उनके द्वारा बनाया जाएगा, वे इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उक्त अंतरिम आदेश के

अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता ने प्रश्नगत राशि जमा कर दी। दिनांक 6.7.2004 को या उसके आसपास, निगम ने एक पत्र जारी किया जो इस प्रकार है:

पुन: टी.सं. 2004 का 212

2004 का डब्ल्यूपी नंबर 962 और 966 से 973

श्रीमान,

आपके पत्र संख्या शून्य दिनांकित 30.06.2004 और 02.07.2004 के संदर्भ में तथा उसमें वर्णित उपरोक्त विषय पर हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि लंबित अनुबंधों की 1/6 (एक छठा) मात्रा के भुगतान की व्यवस्था कैरिंग लागत के साथ तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर करें। बिक्री अनुबंध के खंड 5.0 के अनुसार, इस पत्र की प्राप्ति की सूचना आपको हमारे पत्र दिनांक 7.1.03, 17.11.03, 8.10.03, 4.12.03, 16.12.03, 26.12.03, 13.1 द्वारा पहले ही सूचित कर दी गई है। 04, 16.1.04, 6.2.04, 19.2.04, 04.03.04, 19.3.04, 22.3.04 और 12.4.03। कृपया ध्यान दें कि चूंकि संबंधित बिक्री अनुबंध आपको पहले ही भेजे जा चुके हैं, इसलिए नए अनुबंध जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप लागत वहन करने के साथ-साथ भुगतान की व्यवस्था करें ताकि हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकें।

9. डिवीजन बेंच ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2006 द्वारा निर्देशित किया:

इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त खंड में उल्लिखित समय के भीतर रिट याचिकाकर्ताओं ने माल की डिलीवरी नहीं ली और अदालत के समक्ष शिकायत की कि ऐसी डिलीवरी नहीं लेने के लिए, उन्हें भविष्य के आवंटन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमने पहले ही संकेत दिया है कि उन्हें स्वयं अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अनुबंध के तहत निर्धारित मूल्य के भुगतान पर किश्तों में देर से डिलीवरी लेने का फैसला किया और अपीलकर्ता को समझौते के संदर्भ में आगे कच्चे जूट आवंटित करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। अंतरिम आदेश का लाभ मिलने के बाद अब वे देर से डिलीवरी लेने पर कैरिंग कॉस्ट देने से इनकार नहीं कर सकते। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए उक्त खंड की गलत व्याख्या की कि वर्तमान मामला दोषपूर्ण साख पत्र प्रस्तुत करने का नहीं है और खंड 5.0 केवल दोषपूर्ण साख पत्र प्रस्तुत करने के मामलों में ही लागू किया जा सकता है। हमारे समक्ष मामले में, निर्विवाद रूप से रिट याचिकाकर्ताओं की उक्त खंड में उल्लिखित अवधि के भीतर माल की डिलीवरी लेने की जिम्मेदारी थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उसी अवधि के भीतर डिलीवरी नहीं ली गई। इसके बाद, अंतरिम आदेश के आधार पर, उन्हें डिलीवरी मिल गई और लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने पर नए आवंटन के

लिए भी प्रार्थना की। यह सुझाव देना बेतुका है कि जो खरीदार एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामान उठाने के लिए समझौते के तहत बाध्य हैं और डिलीवरी नहीं लेने पर उन्हें ले जाने की लागत और विलंबित अधिभार का भुगतान करना पड़ता है, उन्हें इस तरह के दंड का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि दोष न हो। निर्धारित समय से अधिक समय तक माल उठाने के बावजूद भी साख पत्र में पाया जाता है। यदि हम उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो खरीदार माल की डिलीवरी न लेकर या अपीलकर्ता के पक्ष में कोई क्रेडिट पत्र खोले बिना यह तर्क देकर उस खंड से बच सकते हैं कि क्रेडिट पत्रों में कोई दोष नहीं था।

इस प्रकार, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानकर कानून में गलती की कि रिट याचिकाकर्ताओं पर समझौते के खंड 5.0 में उल्लिखित वहन लागत और अन्य शुल्कों का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं था, भले ही वे निर्धारित समय के भीतर माल नहीं उठाते हों। उसमें या यदि वे अपीलकर्ता के पक्ष में कोई क्रेडिट पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं।

इसलिए, हम विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं और मानते हैं कि अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ताओं के कहने पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन के लिए समझौते के खंड 5.0 में उल्लिखित वहन लागत और अन्य शुल्क

प्राप्त करने का हकदार है और इसमें मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं के कहने पर उस खंड का उल्लंघन हुआ है।

तदनुसार, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और रिट याचिकाकर्ताओं के वकील को निर्देश देते हैं कि वे आज से एक पखवाड़े के भीतर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार बैंक खाते में पड़ी पूरी राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित, सौंप दें।

10. इतना कहने के बाद, डिवीजन बेंच ने पार्टियों को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को देय भार वहन शुल्क की मात्रा के संबंध में समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता के माध्यम से राशि का निपटान करें;

पक्षों के बीच समझौते से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का प्रावधान है। क्या रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के पास जमा की गई राशि धारा 5.0 के संदर्भ में वहन लागत और अन्य शुल्कों को कवर करने के लिए पर्याप्त थी, यह तथ्य का प्रश्न है और ऐसे विवादों को हल करने के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है जो मूल रिट आवेदन के दायरे से परे है। हमें रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के कारण ही खंड 5.0 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, हालांकि उन्होंने अंततः रिट आवेदन में ली

गई अपनी शिकायत पर जोर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश को रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं देना चाहिए था। न्यायिक कार्यवाही में दावा की गई अंतिम राहत की सहायता के लिए अंतरिम आदेश दिए जाते हैं ताकि अंतरिम राहत पारित न करने पर अंतिम राहत अनुपयुक्त न हो जाए। लेकिन कानून समान रूप से स्थापित है कि यदि न्यायिक कार्यवाही लंबे समय में विफल हो जाती है, तो अंतरिम आदेश के मद्देनजर, हारने वाले पक्षकार के पक्ष में अंतरिम आदेश देने वाले न्यायालय को, सफल पक्षकार को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। खंड 5.0 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर निर्णय करके और धन की वापसी के लिए निर्देश पारित करके, हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के लिए अपीलकर्ता को हुए नुकसान की भरपाई कर दी है।

इसलिए, हम पार्टियों को समझौते के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से राशि का निपटान करने का निर्देश देते हैं। मध्यस्थता उस राशि को समायोजित करेगी जो इस आदेश के आधार पर रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा अपीलकर्ता को सौंपी जाएगी, इसके साथ ही माल की देरी से डिलीवरी लेने के कारण रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अपीलकर्ता को देय वास्तविक राशि का आकलन भी इसी दौरान किया जाएगा।

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एस बागरिया ने कहा कि यद्यपि कानूनी प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि एक मुकदमाकर्ता अपने पक्ष में पारित अंतरिम आदेश का लाभ नहीं उठा सकता है, लेकिन यह भी सही है कि अंतरिम आदेश को पार्टियों के संविदात्मक दायित्वों के संदर्भ में प्रभावी किया जाना चाहिए और यदि उसके संदर्भ में, अपीलकर्ता वहन लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, तो बिक्री समझौते के खंड 5.0 लागू नहीं होने के कारण, उन्हें इसके साथ बांधा नहीं जा सकता है। उक्त दायित्व. इस संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, अमृतसर बनाम हार्टफोर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एआई आर 1965 एससी 1288 पर मजबूत निर्भरता रखी गई है।

12. दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास भट्टाचार्य यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता ने इस आधार पर एक रिट याचिका दायर की थी कि वैधानिक आदेश लागू नहीं है। इस तरह की प्रार्थना को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और अपीलकर्ता ने छह किश्तों में खरीद के बैकलॉग को पूरा करने का वचन देकर अपने लाभ के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करने की प्रार्थना की है, वह कैरिंग चार्ज का भुगतान करने के लिए बाध्य है। डिवीजन बेंच, श्री बिकास भट्टाचार्य ने सही राय दी है कि देय शुल्क, केवल उसकी मात्रा,

पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए मध्यस्थता समझौते के अर्थ में विवाद का विषय होगा।

13. विद्वान वकील के संबंधित तर्कों पर विचार करने से पहले, हम अनुबंध की प्रासंगिक शर्तों पर ध्यान दे सकते हैं:

2.0 डिलीवरी का तरीका: पूर्व गोदाम के लिए

डिलिवरी: सामान उठाने की जिम्मेदारी

_____ के भीतर अपनी लागत पर खरीदारों के पास रहेगा।

2.1 ऊपर बताई गई डिलीवरी अवधि के भीतर खरीदार द्वारा गोदाम से डिलीवरी लेने में विफलता की स्थिति में, 25 रु. प्रति क्विंटल की राशि दी जाएगी। अनुलग्नक-II में दर्शाई गई कीमत के अतिरिक्त प्रति माह शुल्क लगाया जाएगा। खरीदार द्वारा _____ तक माल उठाने में विफलता के लिए निगम के पास अनुबंध रद्द करने अनुबंध के खंड क्रमांक 16 के (i), (ii), (iii) और (iv) में निर्धारित किसी भी और/या सभी विकल्पों का उपयोग करने का विकल्प होगा।

XXXXXXXXX

5.0 भुगतान की शर्तें: पुष्ट और अपरिवर्तनीय साख पत्र और/या बैंक ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के माध्यम से, अधिमानतः कोलकाता में एक

राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से, अनुबंध द्वारा कवर की गई जूट की पूरी मात्रा का पूरा मूल्य और खरीदारों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य प्रासंगिक लागतें शामिल होंगी। और नवीनतम 26.03.04 तक हमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। यदि ऊपर बताई गई निर्धारित तिथि के भीतर खरीदार द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट पत्र जेसीआई को स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो इसे संशोधन के लिए खरीदार को वापस कर दिया जाएगा और पत्र को फिर से जमा करने के लिए खरीदार द्वारा ली गई अवधि के लिए इसे वापस कर दिया जाएगा। आवश्यक संशोधन के बाद क्रेडिट का, खरीदार 25/- प्रति क्विंटल प्रति माह या उसका भाग रुपये की दर से वहन लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

XXXXXXXX

8.0 दावा निपटान की प्रक्रिया:ईआईशजे गुणवत्ता के संबंध में सभी दावों का निपटान ईआईशजे एंड एचई के उपनियमों और नियमों के अनुसार किया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए स्वीकार्य नमी पुनर्प्राप्ति प्रतिशत 18% और शेष 8 महीनों, नवंबर से जून के लिए 16% होगा। खरीदारों को गुणवत्ता और स्थिति पर दावों की सीमा (प्रतिशत के संदर्भ में) स्पष्ट रूप से इंगित करनी होगी। किसी भी संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी और निगम द्वारा किसी भी दावे पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि खरीदार ऊपर उल्लिखित

तरीके से और ईआईएल एंड एचई के उपनियमों और नियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर दावे की सीमा को स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करते हैं।

पूर्व-गोदाम डिलीवरी के मामले में, वजन लॉरी चालान पर दर्ज वजन या खरीददारों और निगम के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित वजन के प्रमाण पत्र के आधार पर डिलीवरी के पूर्व-गोदाम बिंदु पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए दिया जाने वाला प्रमाणपत्र अनुलग्नक-III के प्रपत्र में हो सकता है।

गुणवत्ता, स्थिति और वजन के दावे के निपटान के आधार पर यदि खरीदार निगम से किसी भी राशि की वसूली के हकदार पाए जाते हैं, तो भुगतान डेबिट नोट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

9.0 मध्यस्थता: इस अनुबंध के निर्माण, अर्थ और संचालन या प्रभाव या इसके उल्लंघन से संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों का निपटारा भारतीय मध्यस्थता परिषद की मध्यस्थता और उसके अनुसार दिए गए निर्णय द्वारा किया जाएगा। यह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

XXXXXXXXX

16.0 अनुबंध के तहत निर्धारित अवधि के भीतर जेसीआई को स्वीकार्य भुगतान व्यवस्था करने में खरीदार की ओर से किसी भी देरी या विफलता की स्थिति में और/या खंड 4.1 के अनुसार अनुबंधित मात्रा की डिलीवरी लेने में उनकी विफलता/इनकार करने पर। अनुबंध के साथ-साथ अनुबंध की किसी भी शर्त को पूरा करने के लिए, निगम को निम्नलिखित में से किसी एक और/या सभी विकल्पों का प्रयोग करने का अधिकार होगा:

i) अनुबंध रद्द करना;

ii) अनुबंध को रद्द करना और अनुबंध रद्द करने की तिथि पर अनुबंध की कीमतों और बाजार मूल्य के बीच अंतर, यदि कोई हो, के लिए खरीदारों से शुल्क लेना।

iii) अनुबंध को रद्द करना और निगम द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी भी तरीके से सामान बेचना और इस संबंध में निगम द्वारा किए गए सभी खर्चों के समायोजन के बाद अनुबंध मूल्य और उससे प्राप्त नहीं हुए मूल्य के बीच अंतर के लिए खरीदार से शुल्क लेना; और

iv) किसी अन्य राशि की वसूली के लिए जो निगम को सामान रखने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है, जिसमें जहां भी लागू हो, ले जाने का शुल्क शामिल होगा।

14. पार्टियों द्वारा और उनके बीच किए गए अनुबंध का निर्माण हमारे सामने प्रश्नगत है। एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है। मध्यस्थता समझौता व्यापक आयाम का है; इस कारण से न केवल प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आपूर्ति की जाने वाली जूट की गुणवत्ता से संबंधित विवाद पर बल्कि अनुबंध के प्रभाव तथा उसका उल्लंघन, यदि कोई हो तो उसका निर्धारण मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

15. यह तर्क देना सही नहीं है कि खंड 8.0 दावा निपटान की प्रक्रिया प्रदान करता है। हमारी राय में आपूर्ति किए गए जूट की गुणवत्ता के संबंध में उक्त प्रावधान का खंड 9.0 से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टियों द्वारा और उनके बीच किया गया मध्यस्थता समझौता खंड 8.0 से स्वतंत्र है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद होता है, तो रिट अदालत आमतौर पर विवाद में प्रवेश करने के लिए अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगी।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश ने समझौते के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया। एक तरह से डिवीजन बेंच ने उक्त फैसले को पलट दिया। समझौते का निर्माण उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। डिवीजन बेंच, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, ने स्वयं राय दी थी कि वहन लागत की मात्रा की गणना के उद्देश्य के लिए मध्यस्थता खंड का सहारा लिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में वहन लागत के

भुगतान का प्रश्न उठेगा, बशर्ते वह देय हो। इस प्रकार, ऐसी वहन लागत का भुगतान बिक्री अनुबंध के खंड 5.0 के साथ पढ़े गए खंड 2.0 के निर्माण पर निर्भर करेगा।

17. प्रतिवादी, इसमें कोई संदेह नहीं, समझौते के खंड 16.0 का सहारा ले सकता था, जिसके तहत वह निगम को भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि का एहसास कर सकता था। एक निश्चित राय पर पहुंचने से पहले विवादित तथ्य पर गौर करना आवश्यक था कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, वहन लागत का भुगतान करने की बाध्यता लागू थी।

18. वरिष्ठ न्यायालयों में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति निस्संदेह व्यापक है, लेकिन मध्यस्थता खंड मौजूद होने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवाद के एक हिस्से के संबंध में मध्यस्थता समझौते का सहारा लिया लेकिन दूसरे हिस्से को स्वयं निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा। यह समझौते के तहत पार्टियों को अपने स्वयं के उपचार का लाभ उठाने के लिए छोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर सकता था, लेकिन अगर उसकी राय थी कि मध्यस्थता खंड के तहत आने वाले पक्षों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए, तो उसे विवाद का एक हिस्सा स्वयं निर्धारित कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था।

19. इसी प्रकार का प्रश्न मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड आदि बनाम उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य एआई आर 1976 एससी 127 में विचार हेतु उठा, जिसमें यह माना गया था कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर सकता है, यदि कोई वैध मध्यस्थता खंड मौजूद है तथा उक्त केस में यह अंकित किया गया है किः-

> ''24. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय को ऐसे मामले में मध्यस्थता के पक्ष में अपने विवेक का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां यह अधिभार लगाने की बोर्ड की शक्ति के बारे में कानून का शुद्ध प्रश्न है। इस प्रस्तुतिकरण में बहुत ताकत होगी यदि इसमें शामिल एकमात्र प्रश्न अधिभार लगाने के लिए अधिनियम की धारा 49 और 50 के तहत बोर्ड की शक्ति का दायरा है, जैसा कि शुरू में तर्क देने की मांग की गई थी। उस स्थिति में प्रश्न समझौते के खंड 23 की सामग्री के अंतर्गत नहीं रहा होगा। लेकिन कानून के सभी प्रश्न, जिनमें से एक समझौते की व्याख्या हो सकती है, को घरेलू मंच से वापस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अदालत के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधिकार है और अदालत बेहतर है ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिए

मध्यस्थता खंड 23 व्यापक आयाम का एक खंड है जो समझौते की व्याख्या को भी अपने दायरे में लेता है और इसलिए, आवश्यक रूप से, उसमें खंड 13 को भी शामिल करता है। इसलिए, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि हमें मामले को मध्यस्थता से रोकने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और खुद ही इससे निपटना चाहिए।''

20. संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 242 में इस न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया था तथा यह प्रतिपादित किया गया था किः-

''12. मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या एक विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल एक अधिक प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व के आधार पर करने से इनकार कर दिया जाएगा। आमतौर पर, जब पार्टियों के बीच किसी विवाद के लिए तथ्यों के विवादित प्रश्न के निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पार्टियों को मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह के साक्ष्य देने की आवश्यकता होती है, जिसे पार्टियों द्वारा चुने गए घरेलू मंच द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तो न्यायालय रिट

आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है। ((देखें) टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा एसईबी और बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा एसईबी)''

13. हालाँकि, सार्वजनिक कानून उपचार के माध्यम से न्याय तक पहुंच से इनकार नहीं किया जाएगा जब मामले में सार्वजनिक कानून चरित्र शामिल हो और जब पार्टियों द्वारा चुना गया मंच उचित राहत देने की स्थिति में न हो।

21. इस न्यायालय के पहले के कुछ निर्णयों पर निर्भरता दिखाते हुए इस न्यायालय ने कहा:

''यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में जब पार्टी की कोई कार्रवाई किसी समझौते में निहित नियमों और शर्तों के साथ-साथ बनाए गए घरेलू फोरम के दायरे और दायरे से परे होती है, तो रिट याचिका को बनाए रखने योग्य माना जा सकता है; लेकिन निर्विवाद रूप से इसलिए ऐसा मामला बनना ही चाहिए। यह सच भी हो सकता है, जैसा कि अमृतसर गैस सर्विस और ई. वेंकटकृष्णा मामले में इस न्यायालय ने माना है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बहाली का निर्देश

देने के लिए अपेक्षित क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे मामले में भी रिट याचिका पर विचार करते समय, अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि यदि अनुबंध के संबंध में तथ्य का कोई गंभीर विवादित प्रश्न शामिल है, तो आमतौर पर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, एक रिट याचिका पर तभी विचार किया जाएगा जब इसमें सार्वजनिक कानून का चरित्र शामिल हो या प्रतिवादी की ओर से सार्वजनिक कानून के कार्यों से उत्पन्न होने वाला कोई प्रश्न शामिल हो।''

22. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों की तुलना में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 5 को ध्यान में रखते हुए, कानूनी स्थिति में काफी बदलाव आया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

''5. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, इस समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इस भाग में प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा।''

23. 1940 अधिनियम के संदर्भ में, यहां तक कि एक सिविल मुकदमे पर भी धारा 21 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के अधीन विचार किया जा सकता था। 1996 अधिनियम की धारा 5 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को छीन लेती है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता, 1996 के अधिनियम के प्रावधान को प्रभावी किया जाना चाहिए।

24. चूंकि विवादित तथ्यों के साथ-साथ कानून को भी मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है, हमारी राय है कि पार्टियों के बीच सभी विवादों को बिक्री के खंड 9.0 में निहित मध्यस्थता समझौते का सहारा लेकर हल करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

25. इसलिये हम निर्देश देते हैं;

(ए) संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, पार्टियों के बीच सभी विवादों और मतभेदों को अनुबंध के खंड 9.0 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

(बी) मध्यस्थता का संदर्भ 1996 अधिनियम के तहत एक माना जाएगा।

(सी) पार्टियां किसी अन्य या आगे के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगी।

(डी) विद्वान मध्यस्थ संदर्भ में प्रवेश की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर एक पुरस्कार देगा।

(ई)अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर विद्वान अधिवक्ता के पास वहन शुल्क के लिए जमा की गई सभी राशि का भुगतान दूसरे प्रतिवादी को किया जाना चाहिए, जिसके लिए एक उचित रसीद दी जाएगी।

(एफ) ऐसा भुगतान मध्यस्थ के समक्ष पार्टियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और किसी अन्य या आगे के आदेश या निर्देश के अधीन होगा जो विद्वान मध्यस्थता द्वारा उसके पुरस्कार में जारी किया जा सकता है।

26. इन अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्ष अपनी लागत का भुगतान और वहन स्वयं करेंगे।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आकांशा मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।